झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1314 वर्ष 2017

सुनील कुमार, पे0 स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद, वर्तमान निवासी–जामताड़ा, डाकघर–जामताड़ा, थाना–जामताड़ा, जिला–जामताड़ा। .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची जो प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–रांची से कार्यरत।
3. श्रम आयुक्त, रांची जो श्रम आयुक्त के कार्यालय डोरण्डा, रांची, डाकघर–डोरण्डा, थाना–डोरण्डा, जिला–रांची से कार्यरत।
4. सहायक श्रम आयुक्त, संथाल परगना डिवीजन, दुमका जो डाकघर–दुमका, थाना–दुमका, जिला–दुमका से कार्यरत।

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्रीमती रितु कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए:– श्री एस0के0 गौतम, जी0पी0–IV के जे0सी0

4 / 19.06.2017 याचिकाकर्ता, जो झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 74 (बी) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए दिनांक 30.11.2016 को एक आवेदन दिया था, ने उपरोक्त आवेदन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे 17.08.1983 को श्रम निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अब 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुक हैं। उन्होनें जोर देकर कहा है कि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही या कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है। वह अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृति चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आवेदन पर, उनके सेवा विवरण अनुलग्नक डी (takp izi =) के तहत 16.12.2016 को अग्रेषित किए गए थे, हालांकि इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विवश होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. जवाबी हलफनामे में, प्रत्यर्थी राज्य ने एक रूख अपनाया है कि इस बीच, मुख्य सचिव के आदेश द्वारा दिनांक 24.11.2016 के ज्ञापन में निहित एक आदेश के माध्यम से उसका वेतन रोक दिया गया था और इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृति के आवेदन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। श्रीमती रितु कुमार, याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करती हैं कि अब याचिकाकर्ता के वेतन का भुगतान नवंबर, 2016 से कर दिया गया है।

4. उपर्युक्त तथ्यों में, श्रम आयुक्त, रांची, प्रत्यर्थी संख्या 3 को स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए दिनांक 30.11.2016 के आवेदन पर छः सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, यदि कोई कानूनी बाधा न हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त आवेदन में कोई कमी रहती है, तो याचिकाकर्ता को, यदि मौजूदा नियमों/कोड के तहत अनुमति है, तो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने और/या कमी को ठीक करने/दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)